स्रोत - दैनिक भास्कर
दिनांक - 31.05.2018
पृष्ठ संख्या - 07

7 करोड़ की प्रतिबंधित दवा और माल जब्त

सूरत। वापी के पास सरीगाम में दवा बनाने वाली कंपनी पर डीआरआई ने बुधवार की रात छापेमारी की। इस दौरान प्रतिबंधित दवा सहित 7 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया। समाचार लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अप्रैल 2018 में केंद्र सरकार ने ट्रमिकॉल नामक दवा के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस दवा का उपयोग पेनकिलर तथा थकान मिटाने में किया जाता था।